भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3063

09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष क्षेत्र में प्रगति

3063. श्री इमरान मसूद:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान आयुष क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या वन उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आयुष के कच्चे माल की कमी हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा आयुष के कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या आयुष क्षेत्र में विनियामक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई ठोस कार्यनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय द्वारा "आयुष में परिवर्तनकारी विकास का दशक, 2014-2024" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। विवरण https://ayush.gov.in/images/annualReport/DecadeAyushReport.pdf पर उपलब्ध हैं। विगत पाँच वर्षों के दौरान आयुष क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

i. आयुष मंत्रालय का बजट

विगत पांच वर्षों के दौरान, आयुष मंत्रालय के बजट आवंटन में वृद्धि की गई है, जो इस क्षेत्र के महत्व की बढ़ती हुई पहचान को दर्शाता है। आयुष मंत्रालय को आवंटित बजट का वर्षवार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

ii. आयुष अवसंरचना

वर्ष 2018-2022 के दौरान देश में आयुष अस्पतालों, बिस्तरों, औषधालयों और पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टरों) की कुल संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

iii. आयुष औषधि उद्योग

विकासशील देशों की अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, आयुष विनिर्माण उद्योग का आकार 1,37,800 करोड़ रुपये (18.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) होने का अनुमान है, जो 7 वर्षों में 6 गुना की वृद्धि है। इसी प्रकार, आरआईएस के प्रारंभिक अध्ययन आयुष सेवा क्षेत्र में 1,66,797 करोड़ रुपये का राजस्व दर्शाता है। वर्ष 2018-2022 के दौरान देश में आयुष विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या (राज्य सरकारों/संबंधित एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार) **संलग्नक-I** में दी गई है।

इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) आयुष मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो आयुष क्षेत्र में आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के निर्माण में लगा हुआ है। विगत पांच वर्षों के दौरान आईएमपीसीएल के कुल कारोबार संबंधी विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

iv. शिक्षा

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 को सितंबर 2020 में अधिनियमित किया गया था। इन

अधिनियमों ने क्रमशः पुराने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 का स्थान लिया। विगत पाँच वर्षों में बढ़े हुए/स्थापित किए गए आयुष कॉलेजों का वर्षवार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

v. भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच)

भारत सरकार ने, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता प्रयोगशाला (पीएलआईएम), गाजियाबाद और होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला (एचपीएल), गाजियाबाद, दोनों अधीनस्थ कार्यालयों और आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच), गाजियाबाद, को 06 जुलाई, 2020 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से विलय करके, अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में, भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएमएंडएच) की स्थापना की है।

आयुष मंत्रालय की ओर से पीसीआईएमएंडएच आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों/दवाओं के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और फार्माकोपियल मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियम, 1945 के अनुसार, यहां शामिल की गई, एएसयूएंडएच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और शक्ति) को सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करता है और भारत में निर्मित की जा रहीं एएसयूएंडएच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। विगत पांच वर्षों के दौरान, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल (पौधे/पशु/खनिज/रासायनिक मूल की एकल औषधि) पर 60 गुणवत्ता मानक, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) फार्मूलेशनों के 03 गुणवत्ता मानकों, एएसयू औषधियों के 219 फार्मूलरी विनिर्देशों को संबंधित भेषजसंहिताओं और फार्मूलरियों में प्रकाशित किया गया हैं।

पीसीआईएमएंडएच एक अपीलीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार सरकारी एजेंसियों से नमूने प्राप्त करता है, ताकि उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। पीसीआईएमएंडएच द्वारा परीक्षण किए गए औषधि नमूनों का वर्षवार विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पीसीआईएमएंडएच द्वारा औषधि विनियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि को दिए गए प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

(ख) और (ग) आयुष मंत्रालय को कच्चे माल की कमी के संबंध में कोई कमी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा, औषधीय पौधों के कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए 322.41 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, पूरे देश में "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्रीय योजना" को कार्यान्वित किया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, उक्त योजना के तहत 43.49 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों के लिए परियोजना आधारित सहायता प्रदान करना है:

1. स्व-स्थाने संरक्षण/पूर्व-स्थिति संरक्षण।
2. सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ जैसे प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ/सेमिनार/सम्मेलन आदि।
3. अनुसंधान और विकास।
4. औषधीय पौधों के उत्पादों का प्रचार, विपणन और व्यापार।
5. नर्सरियों की स्थापना।
6. औषधीय पौधों की आपूर्ति श्रृंखला में अगली तथा पिछली कड़ी (एकीकृत घटक)।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) समय-समय पर मांग और आपूर्ति अध्ययन का समर्थन करता है और इसने वर्ष 2017 के दौरान एक व्यापक सर्वेक्षण किया था और "भारत में औषधीय पौधे: उनकी मांग और आपूर्ति का आकलन" नामक पुस्तक संकलित की थी।

वर्ष 2014-15 में, देश में जड़ी-बूटियों/औषधीय पौधों की वार्षिक माँग लगभग 5,12,000 मीट्रिक टन अनुमानित की गई थी। इसके अतिरिक्त, इस अध्ययन के अनुसार, लगभग 1178 औषधीय पौधों की प्रजातियों के व्यापार किए जाने की सूचना दर्ज की गई, जिनमें से 242 प्रजातियों का उच्च मात्रा में,

अनुमानित प्रति वर्ष 100 मीट्रिक टन से अधिक, व्यापार किया जाता है। यह अध्ययन वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ था और www.nmpb.nic.in पर "भारत में औषधीय पौधे: उनकी माँग और आपूर्ति का आकलन, वेद और गोराया (2017)" शीर्षक के तहत उपलब्ध है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, (सांख्यिकी प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) 645,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ 742,000 हेक्टेयर क्षेत्र को औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती के अंतर्गत शामिल किया गया है।

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के पास ऊटी, तमिलनाडु में होम्योपैथिक, औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएमपीआरएच) है। यह संस्थान होम्योपैथी में उपयोग होने वाले विदेशी और स्वदेशी पौधों के जर्मप्लाज्म की खेती, सर्वेक्षण, संग्रहण और रखरखाव में संलग्न है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के तहत, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के एमराल्ड में, होम्योपैथिक औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएमपीआरएच), होम्योपैथी में उपयोग होने वाले 104 पौधों की प्रजातियों (92 विदेशी और 12 स्वदेशी) के जर्मप्लाज्म की खेती और रखरखाव कर रहा है।

केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) सिद्ध औषधीय पादप उद्यान, मेट्टूर डैम के माध्यम से, सीसीआरएस की फार्मेसी में सिद्ध फार्मूलेशनों के उत्पादन की मांग को पूरा करने तथा अनुसंधान और संबंधित उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु औषधीय पौधों की खेती करती है।

(घ): आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में नियामक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 में निर्धारित किए गए अनुसार, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को कार्यान्वित करने का अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में निहित है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का नियम 158-ख आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का नियम 85 (क से झ) होम्योपैथी दवाओं के निर्माण हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए विनियामक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

(ii) वर्ष 2021 में, आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रीय योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) को कार्यान्वित किया है और इस योजना के लिए पांच वर्षों हेतु कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। एओजीयूएसवाई योजना के निम्नलिखित घटक हैं -

क. उच्चतर मानकों को प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ और उन्नत करना।

ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयूएंडएच औषधियों की भेषजसतर्कता।

ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक कार्यढांचे को सुदृढ़ करना।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य प्रासंगिक वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों और मान्यता/प्रमाणन के विकास के लिए सहयोग देना।

एओजीयूएसवाई योजना के विस्तृत दिशानिर्देश https://ayush.gov.in/images/Schemes/aoushdhi.pdf पर उपलब्ध हैं।

(iii) आयुष मंत्रालय की केंद्रीय योजना के तहत, देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता केंद्रों को संबंधित राज्य नियामक प्राधिकरणों को भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी और रिपोर्ट करने का अधिकार है। राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) को मिलाकर तीन स्तरीय संरचना स्थापित की गई है। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है। पीपीवीसी द्वारा नियमित अंतराल पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को आपत्तिजनक विज्ञापनों की सूचना दी जा

रही है। साथ ही, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियम, 2022 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विनियम, 2022 के अनुसार, सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए भेषजसतर्कता एक अनिवार्य घटक है। इसके साथ ही, 115283 लाभार्थियों के साथ 1500 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(iv) आयुष मंत्रालय की ओर से पीसीआईएमएंडएच आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएंडएच) औषधियों/दवाओं के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता संबंधी मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत नियम 1945 के अनुसार, इसमें शामिल की गईं एएसयूएंडएच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक संग्रह के रूप में कार्य करता है और भारत में निर्मित की जा रही एएसयूएंडएच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। एनसीआईएसएम एक नियामक निकाय है और इसने चिकित्सा शिक्षा, परीक्षा, डिग्री की मान्यता, संस्था, अनुसंधान, नैतिकता और चिकित्सकों के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए 15 विनियमन अधिसूचित किए हैं। ये विनियमन https://ncismindia.org/under-ncism-act-2020 .php पर उपलब्ध हैं।

(vi) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने 10 विनियमन अधिसूचित किए हैं और इसके विवरण https://nch.org.in पर उपलब्ध हैं।

(vii) आयुष मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 716 (ङ) दिनांक 01.10.2021 के तहत अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों से संबंधित 23 चिन्हित अनुपालनों को कम कर दिया है।

*****

संलग्नक-I

(i) आयुष मंत्रालय को आवंटित बजट का वर्षवार ब्यौरा –

वर्ष	**बजट आवंटन (करोड़ रूपए में)**
2019-20	1939.76 रूपए
2020-21	2122.08 रूपए

2021-22	2970.30 रूपए
2022-23	3050 रूपए
2023-2024	3647.50 रूपए

(ii) वर्ष **2018-2022** के दौरान देशों में आयुष अस्पतालों, बिस्तरों, औषधालयों और पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टरों) की कुल संख्या –

क्र.सं.	**सुविधाएँ**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1.	अस्पताल	3,986	3,781	3,859	3,844	3,859
2.	बिस्तर	56,586	60,632	60,653	60,943	61,549
3.	औषधालय	27,199	29,091	29,951	36,848	37,385
4.	पंजीकृत चिकित्सक (डॉक्टर)	7,99,879	6,46,013	7,12,132	7,55,780	7,30,317

(स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें और संबंधित एजेंसियां)

(iii) वर्ष 2018-2022 के दौरान देश में आयुष विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या –

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
आयुष विनिर्माण इकाईयॉ	8,954	8,407	8,104	8,648	8,705

(स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें और संबंधित एजेंसियां)

(iv) पिछले पांच वर्षों के दौरान आईएमपीसीएल का वर्षवार कारोबार –

वर्ष	कारोबार
2018-19	86.83 करोड़ रू.
2019-20	97.04 करोड़ रू.
2020-21	164.02 करोड़ रू.
2021-22	260.84 करोड़ रू.
2022-23	223.23 करोड़ रू.

संलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों में स्थापित आयुष कॉलेजों का वर्षवार विवरण –

क. पिछले पांच वर्षों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं सोवा-रिग्पा कॉलेजों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**वर्ष**	**आयुर्वेद**	**सिद्ध**	**यूनानी**	**सोवा-रिग्पा**
1.	2019-20	13	02	01	01
2.	2020-21	02	0	01	0
3.	2021-22	47	0	0	01
4.	2022-23	42	02	0	01
5.	2023-24	46	02	0	0
कॉलेजों की संख्या में कुल वृद्धि		**150**	**06**	**02**	**03**

ख. पिछले पांच वर्षों में स्थापित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों की संख्या और स्वीकृत स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	**वर्ष**	**कुल कॉलेज**	**स्वीकृत नए कॉलेजों की संख्या**	**स्नातक स्वीकृत कॉलेजों की संख्या**	**स्नातकोत्तर कॉलेजों की संख्या**
1.	2019-20	247	00	18537	1406
2.	2020-21	247	00	18537	1406

3.	2021-22	259	12	19407	1606
4.	2022-23	270	11	21473	1788
5.	2023-24	277	07	21965	2051

संलग्नक-III

क. पीसीआईएमएंडएच द्वारा परीक्षण किए गए औषधि नमूनों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	**वर्ष**	**होम्योपैथी**	**आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू)**	**कुल**
1	2019-20	599	44	643
2	2020-21	303	24	327
3	2021-22	1006	02	1008
4	2022-23	243	28	271
5	2023-24	शून्य	45	45
6	2024-25 (आज तक)	शून्य	03	03

ख. पीसीआईएमएंडएच द्वारा औषधि नियामक प्राधिकरणों, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि के लिए आयोजित प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष	**आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या**	**उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या**
2019-20	02	23
2020-21	03	263
2021-22	02	54
2022-23	02	88
2023-24	04	49
2024-25	01	18